न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 26/2020

राज नारायण शर्मा पुत्र श्री घासी राम शर्मा साकेत कालोनी देवली जिला– टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवली टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 17–9–2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को आवेदन पत्र दिनांक 2–7–2020 प्रस्तुत कर निम्न अंकित सूचना चाही गई थी :–

देवली गांव स्थित खसरा नं. 4378 खातेदार श्री किशन रेगर पुत्र देवाराम रेगर भू रूपान्तरण आदेश की प्रमाणित फोटो प्रतियॉ

1– भू रूपान्तरण आदेश कमांक 3067 दिनांक 7–10–1996 एंव आदेश कमांक 562 दिनांक 19–7–1997 की
2– उक्त खसरा नम्बर 4778 की जमीन की किस्मत की सत्यप्रति

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली ने उनके पत्र कमांक 899 दिनाक 10–9–2020 से जवाब प्रेषित किया है कि कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना की पत्रावली पत्र कमांक 132/राजस्व/97 दिनांक 10–9–1997 से श्रीमान के कार्यालय में भिजवाई गई थी, पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदक को सूचना नहीं दी गई। इसी सन्दर्भ में इनके पुत्र द्वारा भी अपील की गई थी जिसकी रिपोर्ट श्रीमान के कार्यालय में भिजवा दी गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 16:01:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

देवली ने आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है ओर न ही इस सम्बन्ध में सूचित ही किया, जबकि उनका दायित्व था कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते अथवा प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत जिला कार्यालय में अन्तरित कर आवेदक को सूचित करते कि वांछित सूचना जिला कार्यालय से प्राप्त करें। किन्तु लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली द्वारा ऐसा नहीं किया। अपीलान्ट उक्त अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली को निर्देशित किया जाता है कि वह जिला कार्यालय से पत्रावली प्राप्त/तलाश कर अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार देवली को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 16:01:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner